अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक का अध्ययन

894. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा ।

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 दिसम्बर, 1991 के "स्टेट्समैन" में 'लोन्स फार एस. सी./एस. टी. नाट रिचिंग देम, आर. बी. आई. स्टडी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋणों के संबंध में कोई अध्ययन किया था ;

(ग) यदि हां, तो अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने रिपोर्ट में उल्लिखित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में कोई नए दिशा-निर्देश तथा नई योजनाएं तैयार की हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने जून, 1988 को समाप्त वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किए गए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह की समीक्षा की थी । उपर्युक्त समीक्षा से प्राथमिकता क्षेत्र और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों के संवितरण के मामले में निम्नलिखित तथ्यों का पता चलता है :—

खातों की संख्या लाख में
राशि करोड़ रुपए में

	1987		1988	
	खातों की सं०	राशि	खातों की सं०	राशि
1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को संवितरण . . .	87.78	7184.11	90.42	7740.39
2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा . .	16.55 (18.9)	623.51 (8.7)	17.72 (19.6)	736.80 (9.5)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं)

	1987	1988
	राशियां (रुपए)	राशियां (रुपए)
(क) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में प्रति ऋण खाता औसत राशि	8184	8561
(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रति ऋण खाता औसत राशि . .	3767	4157

उपर्युक्त स्थिति से यह देखा जा सकता है कि 1987 की तुलना में 1988 में अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति खातों की संख्या और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को संवितरित राशि दोनों में तदनुरूप वृद्धि हुई थी । इसी प्रकार, संदर्भाधीन अवधि के दौरान प्रति खाता संवितरित औसत राशि में भी वद्धि हुई है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों के लिए ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के प्रयोजन से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को आदेश दिया है कि उनके कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित कमजोर वर्गों के लिए होना चाहिए । इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों के लिए उपयुक्त बैंक योग्य योजनाएं तैयार करने के वास्ते विशेष प्रयास किए जाने चाहिए । तदनुसार, वाणिज्यिक बैंक, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में भाग लेते हैं ताकि पता लगाए गए हिताधिकारी अपने आर्थिक उत्थान के लिए सक्षम योजनाएं अपनाने में समर्थ हो सकें । उपर्युक्त के अलावा, बैंक भी समाज के कमजोर वर्गों को उत्पादक उद्यमों के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराके सहायता पहुंचाने के वास्ते स्वयं योजनाएं बनाते हैं । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों को ऋण सहायता प्रदान करने के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है और पाई गई कमियों, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

Gold prices and its supply from Government mints

895. SHRI RAM JETHMALANI:
SARDAR JAGJIT SINGH AURORA:
SHRI YASHWANT SINHA.

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a newsitem published in the Hindustan Times of 16th December, 1991 captioned "Gold smuggling gets going against";

(b) if so. whether it is a fact that smuggling of gold has become a profitable profession following the sharp rise in the prices of gold in the country;

(c) if so, what were the prices of gold in the international market in December, 1991 and January, 1992 respectively;

(d) whether it is also a fact that supply of gold from the Mints including the mint in Bhagat Singh Road, Souty Bom bay had been stopped during these months;

(e) if so, what was the total quantity of gold requisitioned from the Mint at that time;